न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,प्रयागराज

प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र संख्या– 788 सन्– 2026

UPAD010070412026

राकेश कुमार उम्र लगभग 52 वर्ष पुत्र स्व. बल्लर, निवासी– ग्राम भुईपारा, थाना मेजा, जनपद प्रयागराज।

––––––––प्रार्थी

बनाम

1. राजेश कुमार सिंह उम्र 50 वर्ष पुत्र रमाशंकर
2. रामकृष्ण उर्फ डब्लू सिंह उम्र 48 वर्ष पुत्र रमाशंकर
3. अतुल सिंह उम्र 35 वर्ष पुत्र मनोज सिंह
4. अम्बुज सिंह उम्र 30 वर्ष पुत्र मनोज सिंह

निवासीगण– ग्राम भुईपारा, थाना मेजा, जनपद प्रयागराज।

––––––––विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 173(4) बी.एन.एस.एस.
थाना– मेजा, जनपद–प्रयागराज।

1. प्रार्थी राकेश कुमार द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा–173(4) बी.एन.एस.एस. विपक्षीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके विवेचना कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति है तथा टेंट, कुर्सी आदि का व्यवसाय कर अपना व अपने परिवार का जीवनयापन किया करता है। विपक्षी राजेश कुमार सिंह ने अपनी माता के दाह संस्कार पर द्वार पर आने वाले व्यक्तियों के लिए दिनांक 05.06.2026 को टेंट, 60 कुर्सी, तीन भगोना, बाल्टी व चूल्हा आदि ले गये थे बाकी अन्य सामान तेरही के कार्यक्रम के लिए ले जाने के लिए कहा था, इसके बाद होने वाले तेरही के कार्यक्रम में दूसरे व्यक्ति का टेंट व सामान ले आकर लगाये थे। प्रार्थी दिनांक 10.06.2026 को समय लगभग 07.00 बजे विपक्षी के घर गया और कहा कि आप दूसरे का टेंट लगवा लिये हैं तो पूर्व में मेरे द्वारा दिये गये सामान को वापस कर दीजिए, मैं गरीब आदमी हूं अपना टेंट व सामान दूसरे के यहां लगाकर कुछ कमा लूंगा, इतने में विपक्षीगण ने उसको मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां, जातिसूचक शब्द चमार सियार व अछूत जाति का कहकर अपमानित किया, सार्वजनिक रूप से लात–घूसे व जूते–चप्पल से दौड़ा–दौड़ाकर बुरी तरह से मारे–पीटे और जान से मारने की धमकी दिया। उसका पुत्र घटना का अपने मोबाइल से वीडियो बनाने लगा तो विपक्षीगण ने उसके पुत्र को भी मारा–पीटा और जान से मारने की धमकी देते हुए उसका मोबाइल फोन जिसका सिम नं.– 8604197217 है व पास में रखा 1800/– रुपये नकद छीन लिया और वीडियो डिलीट करने लगे। विपक्षीगण ने उसके पुत्र से छीना गया मोबाइल फोन व पैसा एवं टेंट, कुर्सी, भगोना, बाल्टी, चूल्हा आदि देने से मना कर दिया और अपने पास रखे हुए हैं। विपक्षीगण ने उसको धमकी दिया कि साले जिस तरह से मेरे परिवार वालों ने गांव के चमार जाति के राम आसरे की हत्या कर लाश गाड़ दिये थे उसी तरह तुमको जान से मारकर लाश जमीन में दफन कर देंगे और लाश का पता तक नहीं चलेगा। विपक्षीगण द्वारा मारपीट के कारण प्रार्थी के शरीर पर चोटें आई हैं जिनकी प्राथमिक चिकित्सा उसने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर, प्रयागराज में कराया था। प्रार्थी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में स्थानीय पुलिस सहित पुलिस के सक्षम अधिकारियों के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रेषित किया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। प्रार्थी ने दिनांक 10.06.2026 को थानाध्यक्ष, मेजा एवं दिनांक 11.06.2026 को ए.सी.पी. मेजा व आई.जी.आर.एस. सं.– 40017526046184 पर प्रार्थनापत्र प्रेषित किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुयी। उपरोक्त कथनों को

संकथित करते हुए वर्तमान प्रकरण के सम्बन्ध में थाना मेजा, जनपद प्रयागराज में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने हेतु आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र, स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति, स्वयं के जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति, जनसुनवाई पोर्टल पर की गयी शिकायत का विवरण, थानाध्यक्ष मेजा को दिये गये प्रार्थनापत्र दिनांकित 10.06.2026 की छायाप्रति, श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट, प्रयागराज व अध्यक्ष अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग को दिये गये प्रार्थनापत्र मय डाक रसीद की छायाप्रति को संस्थित किया गया है।

4. प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पर सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत की गयी तथा थाने की आख्यानुसार प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाना हाजा के अभिलेखों में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

5. मैंने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट हो रहा है प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में स्वयं को अनुसूचित जाति का सदस्य होना बताते हुए विपक्षीगण द्वारा उससे लिये गये टेंट, कुर्सी व अन्य सामानों की मांग किये जाने पर उसको उसको मां–बहन की भद्दी–भद्दी गालियां दिये जाने, जातिसूचक शब्द चमार सियार व अछूत जाति का कहकर अपमानित किये जाने, सार्वजनिक रूप से लात–घूंसे व जूते–चप्पल से दौड़ा–दौड़ाकर बुरी तरह से मारने–पीटने, उसके पुत्र द्वारा घटना का वीडियो बनाये जाने पर उसका मोबाइल व मु.–1800/– रुपये नकद छीन लिये जाने, घटना का वीडियो डिलीट किया जाने व जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप अभिकथित किया गया है। प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी को घटना का दिनांक, समय, स्थान, साक्षीगण के नाम, घटना हेतुक तथा सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी है जिसके सम्बन्ध में वह स्वयं साक्ष्य देने में समर्थ है, अतः अन्वेषण की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

7. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *जोसेफ माधुरी एवं अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी 2001 सप्लीमेंटरी एसीसी 957 व मुहम्मद यूनुस बनाम श्रीमती आफाक जहॉ व अन्य 2006 (1) एसीआरआर पेज 112 एवं माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने रामबाबू गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य 2001 (43) ए0सी0सी0 50 (इलाहाबाद) व सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(59) ए0सी0सी0 739 (इलाहाबाद)* में निर्गत दिशानिर्देश के आलोक में प्रार्थी को यह अवसर उपलब्ध है कि वह प्रार्थनापत्र में अभिकथित कथनों के जरिये परिवाद की प्रक्रिया द्वारा साबित कर सकता है, अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

(i) एतद्द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।

(ii) पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा 223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 02.11.2026 को पेश हो। धारा 223 बी.एन.एस.एस. के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस निर्गत हो, प्रार्थी अपेक्षित पैरवी अन्दर सप्ताह करे।

(कुमार मयंक)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, प्रयागराज
(जे.ओ.कोड यू. पी. 6278)

दिनांक– अगस्त 03, 2026

Digitally signed by KUMAR MAYANK
Date: 2026.08.03 17:04:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court